भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1391

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2025

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1391. श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री अरुण गोविल:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री प्रदीप पुरोहितः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री चिन्तामणि महाराज:
सुश्री कंगना रनौत:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सहायता और देखभाल गृहों सहित कोई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) हिमाचल प्रदेश सहित देश में विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)** नामक एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का संक्षिप्त विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए 2010-11 में "बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) भी शुरू किया था। एनपीएचसीई का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हमारे समाज के सबसे कमजोर व्यक्तियों, चाहे उनकी कोई भी श्रेणी हो, के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। एनएसएपी का विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान एवीवाईएवाई योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में आबंटित, उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

वित्त वर्ष	**आवंटित निधियां (करोड़ रुपये में)**	**जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)**
2022-23	262.33	239.87
2023-24	324.45	210.48
2024-25	413.77	408.14

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में एनपीएचसीई के अंतर्गत अनुमोदित की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**अनुमोदित की गई निधियां (करोड़ रुपये में)**
2022-23	64.94
2023-24	125.25
2024-25	81.42

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना घटक के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

वित्त वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)
2022-23	6827.55
2023-24	6778.50
2024-25	6843.95

(घ): वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश राज्य में एवीवाईएवाई योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए लाभार्थियों की संख्या क्रमश: 28,906 और 15,75,079 है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीधी लोकसभा क्षेत्र में वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 83,123 है।

संलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1391, जिसका उत्तर 09.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित संलग्नक

एवीएवाई योजना के तहत घटकों का विवरण इस प्रकार है-

i. **आईपीएसआरसी - (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम)** आईपीएसआरसी के तहत, वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हुए तथा उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ii. **एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्ययोजना)** - भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सभी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्ययोजनाएं तैयार करें। एसएपीएसआरसी के तहत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उनकी कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। एसएपीएसआरसी को वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया जा रहा है।

iii. **आरवीवाई - (राष्ट्रीय वयोश्री योजना)** इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है जिनकी पारिवारिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है। यह योजना 2017 से लागू की जा रही है।

iv. **एल्डरलाइन-** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।

v. **वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों का प्रशिक्षण-** इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल तरीके से देखभाल करने वालों का एक कैडर भी बनाया जा सके। वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों की भारी कमी और बाजार में बढ़ती उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने इस मांग को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था सेवा प्रदाता के क्षेत्र में 1,00000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।

vi. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहलें-** वृद्धावस्था को स्वाथ्यकर और उपयोगी बनाने के लिए देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

vii. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज)** – इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए असाधारण और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1391, जिसका उत्तर 09.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित संलग्नक

एनपीएचसीई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अभिव्यक्ति है, जैसा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), 1999 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) और "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम" की धारा 20 के तहत परिकल्पित है। एनपीएचसीई का उद्देश्य बुजुर्गों को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक और समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

कार्यक्रम के घटक:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक: जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स् वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), उप-केंद्र/स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक-द्वितीयक परिचर्या सेवा प्रदायगी।
2. तृतीयक घटक (राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जन स्वास्थ्य योजना) ये सेवाएं 17 मेडिकल कॉलेजों और दो नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग (एनसीए) में स्थित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी), जिसमें से एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली में और दूसरी मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में स्थिति है, के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
3. अनुसंधान: भारत में एक लॉगिट्यूडनल वृद्धावस्था अध्ययन (एलएएसआई) परियोजना: - एलएएसआई भारत में वृद्ध व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है, जिसे इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पोपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस), मुंबई के माध्यम से किया जा रहा है।

सेवाओं का पैकेज: वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए कार्यक्रम के दो घटक हैं: जिला/उप-जिला स्तर का घटक और तृतीयक स्तर का घटक। दोनों स्तरों पर बुजुर्ग लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पैकेज नीचे दिया गया है।

उप केंद्र:

क. स्वस्थ वृद्धावस्था, पर्यावरण में परिवर्तन, पोषण संबंधी आवश्यकताओं, जीवन शैली और व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित **स्वास्थ्य शिक्षा**।

ख. **घर में ही रहने वाले/शय्याग्रस्त (बैडरिडेन) बुजुर्गों पर विशेष ध्यान** देना और दिव्यांग बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए परिवार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी (एमओ) द्वारा **साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लिनिक**। इसकी सेवाओं में शामिल होंगी: बुजुर्ग व्यक्तियों के **स्वास्थ्य का आकलन** करना और रक्त शर्करा सहित सरल जांच करना आदि।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

क. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित स्टाफ और पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा **सप्ताह में दो बार जराचिकित्सा क्लिनिक और पुनर्वास सेवाओं** की व्यवस्था की जाएगी।

ख. शय्याग्रस्त वृद्धजनों के लिए पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा **उनके निवास पर दौरा किया जाएगा** और ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों को परामर्श दिया जाएगा।

जिला अस्पताल:

क. समर्पित जराचिकित्सा ओपीडी सेवाएं, 10 बिस्तरों वाले जराचिकित्सा वार्ड के माध्यम से अस्पताल में एडमिट करना, प्रयोगशाला जांच और पुनर्वास सेवाएं।

ख. सीएचसी/पीएचसी आदि द्वारा रेफर किए गए बुजुर्ग रोगियों के लिए सेवाएं प्रदान करना और गंभीर मामलों को तृतीयक स्तर के अस्पतालों में रेफर करना।

तृतीयक स्तर

(क) क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्र:

क. मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और नीचे के अस्पतालों से रेफर किए गए संदर्भित **जटिल/गंभीर जराचिकित्सा मामलों के लिए तृतीयक स्तर की सेवाएं** प्रदान करना।

ख. **जराचिकित्सा मेडिसिन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** संचालित करना। प्रत्येक आरजीसी हर वर्ष 2 स्नातकोत्तर (एमडी जराचिकित्सा) तैयार करेगा।

ग. चिन्हित जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रशिक्षकों को **प्रशिक्षण** प्रदान करना।

घ. प्रशिक्षण मॉड्यूल, दिशानिर्देश और **आईईसी सामग्री** तैयार करना/और अद्यतन करना।

ङ. विशिष्ट वृद्धजन रोगों पर **शोध**।

(ख) नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग

क. चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विषयों से जुड़ी **बहु-विषयक क्लिनिकल सेवाओं** के साथ उच्च स्तरीय तृतीयक देखभाल।

ख. विभिन्न क्लिनिकल विषयों में **विशेष ओपीडी देखभाल।** मेमोरी क्लिनिक, फॉल एंड सिंकोप क्लिनिक, कमजोर बुजुर्ग क्लिनिक, एड्स और उपकरण क्लिनिक, प्रत्यारोपण और कॉस्मेटिक क्लिनिक जैसे विशेष क्लीनिक।

ग. **निम्नलिखित के लिए डे केयर सेंटर**: जांच, पुनर्वास, राहत देखभाल, मनोभ्रंश देखभाल, निरंतर देखभाल।

घ. **भरती मरीज की देखभाल**: गहन देखभाल, तीव्र पुनर्वास, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं, दीर्घकालिक पुनर्वास सेवा।

ङ. **जराचिकित्सा की सभी उप-विशिष्टताओं में मानव संसाधन विकास**

च. देश में प्रचलित जरा रोगों के लिए साक्ष्य **आधारित उपचार प्रोटोकॉल** विकसित करना।

संलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1391, जिसका उत्तर 09.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित संलग्नक

एनएसएपी कार्यक्रम के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को, जो एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, पेंशन के रूप में 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है एवं परिवार के ऐसे कमाने वाले की मृत्यु के मामले में, शोक संतप्त परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।
